छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
"मंत्रालय" महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर
Email ID gad-sec09@cg.gov.in

क्रमांक WELF-3001/7/2024-GAD-9 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक10-11-2025

प्रति,

1. समस्त भारसाधक सचिव,
   छत्तीसगढ़. शासन,
   मंत्रालय, नवा रायपुर अटलनगर.

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   छत्तीसगढ़.

विषयः- विभागाध्यक्ष स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित किये जाने बाबत्।

संदर्भः- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 8-1/2003/9-1 दिनांक 20.03.2003

--

कृपया, विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/ इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा विभागाध्यक्ष स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति के गठन, कार्यक्षेत्र तथा कार्यकलाप संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

3/ शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि, उक्त समिति की नियमित बैठक आयोजित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

4/ आदेशानुसार अनुरोध है कि विभाग एवं विभागाध्यक्ष स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक **दिनांक 15.12.2025 तक अनिवार्यतः** आयोजित करें तथा आयोजित बैठक में अधिकारी/कर्मचारी संघों (राज्य शासन से पत्राचार हेतु मान्यता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी संघ की सूची संलग्न) से प्राप्त ज्ञापन में उल्लेखित मांग बिन्दुओं का नियमानुसार निराकरण करें। संयुक्त परार्शदात्री समिति की आयोजित की जाने वाली उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण **तत्काल** इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः-यथोपरि।

(मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
SHAILABH KUMAR SAHU
Date: 10-11-2025
13:39:41

(शैलभकुमार साहू)
उप सचिव
छ.ग.शासन,सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांकWELF-3001/7/2024-GAD-9 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक10-11-2025

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।

2. अध्यक्ष,समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Digitally signed by
HEMANT KUMAR PANDEY
Date: 10-11-2025
13:52:56

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक एफ–8–1/2003/9–1 रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2003

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़.

विषय :विभागाध्यक्ष स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन।

शासन के विचार में उसके तथा शासकीय कर्मचारियों के बीच के संबंध सौहार्द्रपूर्ण होने चाहिए तथा उन संबंधों को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए, पारस्परिक हितों के मामलों में उन्हें मिल–जुल कर काम करना चाहिए, ताकि ऐसे सहयोग के फलस्वरुप एक ओर कर्मचारियों में संतोष की भावना जागृत हो और दूसरी ओर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। इस उद्देश्य से राज्य शासन ने विभागाध्यक्षीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति के गठन का निर्णय लिया है। इन समितियों में वर्तमान में पत्राचार हेतु अस्थायी मान्यता प्राप्त संगठनों को निम्नानुसार प्रतिनिधित्व दिया जाये :–

क्र.	शासन पक्ष की सदस्य संख्या	शासन द्वारा नामांकित कर्मचारी वर्ग की सदस्य संख्या			कर्मचारी संघ के सदस्यो की संख्या
		द्वि. वर्ग	तृ.वर्ग	च.वर्ग	
	3	1	1	1	2 सदस्य। (संघों की सूची संलग्न)

2/ संबंधित विभाग के विभागध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे। शासन पक्ष के 3 एवं शासन द्वारा नामांकित वर्गवार 3 सदस्य का मनोनयन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

ऐसे संघ जिन्हे आपके विभाग हेतु पत्राचार की मान्यता दी गई है, केवल उनके ही प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

3/ कर्मचारी संघ अपने प्रतिनिधित्व का नामजद करेंगे। किंतु दुबारा नामजद किये जाने पर कोई रोक नहीं होगी।

4/ मृत्यु, सेवानिवृत्ति, पदत्याग, स्थानांतरण आदि के कारण रिक्त पद शेष अवधि के लिए भरे जायेंगे।

5/ कोई संघ, अपने ऐसे प्रतिनिधियों को बदल सकता है, जो वार्षिक चुनावों या अविश्वास प्रस्ताव जैसी अनिवार्य स्थिति के फलस्वरुप उसका पदाधिकारी न रहे हों।

6/ कार्यक्षेत्र तथा कार्यकलाप

समिति के कार्यक्षेत्र में सेवा तथा कार्य की शर्तों, कर्मचारियों के कल्याण और दक्षता तथा कार्य के स्तर में सुधार से संबंधित समस्त मामलों पर सलाह देना सम्मिलित है, बशर्ते कि :–

एक – भर्ती, पदोन्नति, तथा अनुशासन के संबंध में सलाह सामान्य सिद्धांतों के मामलों तक सीमित रहेगी, तथा

दो – वैयक्तिक मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7/ बैठक –

एक – समिति की साधरण बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी और तीन महीनें में कम से कम एक बैठक बुलाई जायेगी। बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को बैठक की तारीख से 10 दिन पूर्व सूचित की जानी चाहिए। जहां तक संभव हो समिति की प्रत्येक बैठक में अगली बैठक की तारीख नियत कर दी जायेगी।

दो – समिति की विशेष बैठक अध्यक्ष अपनी इच्छा से या शासकीय पक्ष या कर्मचारी पक्ष के निवेदन पर बुला सकेगी। ऐसी बैठक की सूचना सभी सदस्यों को बैठक की तारीख से 10 दिन पहले भेजी जायेगी।

तीन – समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। और उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामजद ऐसा प्रतिनिधि, अध्यक्षता करेगा।

चार – अध्यक्ष स्वयं की प्रेरणा से या किसी सदस्य के अनुरोध पर तथा अभिलिखित किये गये कारणों से संबंधित तथा विचाराधीन विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले किसी अन्य शासकीय कर्मचारी को किसी विशेष अवसर पर समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। इस प्रकार

आमंत्रित व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं माना जायेगा।

8/ कार्यसूची –

एक – यदि कोई सदस्य बैठक की कार्यसूची में किसी विषय को सम्मिलित कराना चाहे, तो जहां आवश्यक हो, वहां स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन के साथ उस विषय की सूचना अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी को बैठक के कम से कम 4 सप्ताह पूर्व देगा। यदि सुझाया गया विषय समिति के विचार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अध्यक्ष उसको कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने का आदेश देगा। यदि सदस्य द्वारा सुझाया गया कोई विषय कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इस तथ्य तथा उसके कारणों की सूचना संबंधित सदस्य को दी जायेगी।

दो – बैठक की कार्यसूची की सूचना बैठक की तारीख से 10 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जायेगी।

तीन – विशेष बैठक की कार्यसूची की सूचना बैठक की सूचना के साथ साथ ही दी जायेगी।

चार – कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए विषय पर केवल अध्यक्ष की अनुमति से विचार किया जा सकेगा।

पांच – समिति द्वारा किसी भी प्रकार निपटाये गये विषयों को कार्यसूची में आगामी 12 माह तक तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि किसी विशेष कारण का अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें।

9/ कार्यवृत्त – बैठक के कार्यवृत्त का प्रारुप बैठक में अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा। उसके पश्चात कार्यवृत्त का प्रारुप सदस्यों में घुमाया जायेगा। समिति अपनी पिछली बैठक के कार्यवृत्तों का भी पुनर्विलोकन करेगी। जिससे कि पहले लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति से अवगत हुआ जा सके।

10/ निर्णय :

एक – विभागाध्यक्षीय परामर्शदात्री समिति/श्रेणीवार गठित समिति की सिफारिशों की सूचना समुचित कार्यवाही के लिए शासन को दी जायेगी।

दो – किसी विशिष्ट विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं

से संबंधित विभागीय समितियों की सिफारिशों पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा नियमों तथा विनियमों को ध्यान में रखते हुए आगे आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

11/ पत्राचार हेतु अस्थायी मान्यता प्राप्त संघों को जब स्थायी रुप से मान्यता दी जावेगी तब आपको अलग से सूचित कर दिया जायेगा।

(स्टीफन खलखो)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र. एफ 8–1/2003/9–1 रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2003

प्रतिलिपि :

1. शासन के समस्त विभाग।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर।
4. महामहिम राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाइंट, रायपुर।
6. सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
8. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर।
9. समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
11. सचिव, महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्पसंख्यक आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
13. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर।
14. समस्त अस्थायी पत्राचार हेतु मान्य कर्म./अधिकारी संघ, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(स्टीफन खलखो)
उप सचिव

परिशिष्ट–अ

शासन से पत्राचार हेतु मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघो की सूची

क्रमांक	संघ एवं अध्यक्ष का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	मान्यता की अवधि	रिमार्क
1.	श्री कमल वर्मा, अध्यक्ष **छ.ग.प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ**	103 / 01.02.2002	05.07.2027	
2.	श्री राकेश शर्मा, प्रांताध्यक्ष **छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ**	4084 / 09.01.2013	21.01.2026	
3.	श्री अजीत दुबे, प्रांताध्यक्ष **छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ**	206 / 10.04.2001	04.10.2027	
4.	श्री राजकुमार पाण्डेय, प्रांताध्यक्ष **वन विभाग वाहन चालक /कर्मचारी संघ**	5677 / 10.12.2015	06.05.2028	
5.	श्री अजय त्रिपाठी, अध्यक्ष **छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा संघ**	20 / 12.01.2001	21.03.2028	

File No. WELF-3001/7/2024-GAD-9 (Computer No. 856)
Generated from eOffice by Yogendra Kurre, ASO(GAD-9)-2, ASSISTANT SECTION OFFICER(GAD-9), GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT-9 on 10/11/2025 11:54 am